संख्या:21/2019/64/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 10 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र-तिन्दवारी से संबंधित कार्यो हेतु रू. 500.00 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत जारी में श्री बदलू प्रजापति के दरवाजे से श्री रामबहादूर के दरवाजे की ओर सी0सी0 रो0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.210	19.050	19.050
2	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत जारी में श्री राम आसरे प्रजापति के दरवाजे से श्री बदलुआ प्रजापति के दरवाजे तक सी0सी0 रो0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.210	13.560	13.560
3	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत जारी में श्री बलराम वर्मा के घर से श्री सियाराम के घर तक सी0सी0 रो0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.210	13.810	13.810
4	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत चहितारा में श्री लखना प्रजापति के दरवाजे से श्री केशवलाल के दरवाजे तक सी0सी0 रो0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.180	10.830	10.830
5	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत पचुल्ला में जूनियर हाई स्कूल से काली देवी मंदिर तक सी0सी0 रो0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.260	11.090	11.090
6	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत पथरी में श्री दिनेश प्रजापति के पास तिराहे से प्राथमिक विद्यालय की ओर सी0सी0 रो0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.300	12.780	12.780
7	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत गुरेह में श्री मुन्ना प्रजापति के दरवाजे से दल्लू प्रजापति के दरवाजे तक सी0सी0 रो0 एवं नाली निर्माण कार्य	0.110	4.730	4.730

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
8	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत गुरेह में श्री अनमोल सिंह के घर से हीरामणि प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.210	9.260	9.260
9	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत चिल्ली में श्री दीना खेंगर के घर से मथुरा प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.225	9.900	9.900
10	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत जौरही में बड़े पुल मेन रो□ से हनुमान जी का मन्दिर होते हुए बोधन सिंह के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.120	6.700	6.700
11	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत खैराड़ा में भवानीदीन के घर से झं□पाल के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.120	6.080	6.080
12	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत फतपुरवा से श्री बलराम सिंह के फाटक से करिया टोला होते हुए चमरौ□ी तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.230	10.120	10.120
13	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत बिलबई में मेनरो□ से निर्भय प्रजापति व चौहान प्रजापति के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.180	11.030	11.030
14	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत चहितारा में सभाजीत के घर से लल्लू प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.150	7.060	7.060
15	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत लुकतरा में ग□हा कुआ से चुनबाद के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.160	7.840	7.840
16	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत लामा में महेश की पुलिया से गुलाब की पुलिया की ओर सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.285	21.710	21.710
17	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत महोखर में अंध विद्यालय से सुनील गुप्ता के प्लाट की ओर सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.240	20.720	20.720
18	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत मौदहा में मेनरो□ मूलचंद्र प्रजापति के दरवाजे से बरबसवा के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.115	5.270	5.270
19	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत मौदहा में रामदास वाल्मीकि के दरवाजे से सजीवन रैदास के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.250	16.490	16.490
20	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत मौदहा में रामप्रताप यादव के दरवाजे से संतोष के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.160	7.650	7.650
21	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत क्योटराबहिंगा में चुनका निषाद से विजय निषाद की दुकान तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.120	5.850	5.850
22	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत दुरेड़ी में बैजनाथपाल के दरवाजे से रघुराज सिंह के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.200	16.290	16.290
23	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत करछा में शिवचरन के दरवाजे से लल्ला पाल के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.180	8.790	8.790
24	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत पपरेदा में सुन्दरलाल विश्वकर्मा के घर से रामप्रताप प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.165	8.080	8.080
25	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत पलरा जगराम प्रजापति के घर से मायाराम प्रजापति के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.150	9.640	9.640

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
26	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत दोहतरा में □घवट रो□ में सीताराम के दरवाजे से झुरिया के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.087	4.320	4.320
27	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत परसो□ा में रामरिसि मिश्रा के दरवाजे से झुरिया के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.125	4.120	4.120
28	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत भुजौली में मेन रो□ से राजकारण पटेल के घर की ओर सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.270	12.760	12.760
29	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत आबादी में रामसनेही धोबी के घर से रामप्रताप प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.125	5.990	5.990
30	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत मुंगुस में रज्जन सिंह के दरवाजे से दीपचंद के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.147	7.290	7.290
31	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत वासिलपुर में मेन रो□ कुंवा के पास से राजकुमार प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.104	6.100	6.100
32	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत वासिलपुर में मेन रो□ से बारात घर रामेश्वर प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.100	5.320	5.320
33	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत सैमरी में रामनाथ प्रजापति के घर से श्यामलाल बाजपेई के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.246	12.000	12.000
34	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत अलोना में दयाराम कुटार के दरवाजे बब्लू पाल के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.097	5.380	5.380
35	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत लौमर में छोटेलाल के दरवाजे से मथुरा सोनकर के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.212	11.900	11.900
36	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत निवाइच में मेन रो□ श्रीपाल जमादार के घर से गंगादीन वर्मा के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.190	10.550	10.550
37	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत पिपरहरी में श्री राजनारायण के फाटक से श्री शम्भू धोबी के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.395	30.950	30.950
38	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत ग्राम खपटिहा कलां में झुन्नी □रा में श्री संतोष पाल के दरवाजे से रमेश यादव के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.340	24.770	24.770
39	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत अतरहट में मेन रो□ से शिरोमणि प्रजापति के □रा तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.220	10.260	10.260
40	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत अतरहट में मेन रो□ से फैलू प्रजापति के □रा तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.150	8.220	8.220
41	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत पैलानी में मेन रो□ से शिपप्रसाद जोगी के दरवाजे तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.160	11.330	11.330
42	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत पिपरगवा से गजराज प्रजापति के घर से जवाहर लाल प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.170	12.360	12.360

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
43	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत जरिया में प्राथमिक विद्यालय से बोस प्रजापति के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.105	6.200	6.200
44	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत रैपुरा में हरिश्चन्द्र प्रजापति के घर से रामसजीवन के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.150	9.130	9.130
45	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत गड़रिया में रामबाबू प्रजापति के घर से शिवदास के मकान तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.135	9.140	9.140
46	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत सिकहुला में मैकेसुर बाबा से सुरेन्द्र पाल के घर तक सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.160	9.790	9.790
47	तिन्दवारी	ग्राम पंचायत अमारा में चुन्नू □रा में श्री मनोज पाल के दरवाजे से लिंक रो□ की ओर सी0सी0 रो□ एवं नाली निर्माण कार्य	0.140	7.790	7.790
		योग वि0स0 क्षेत्र तिन्दवारी	**8.568**	**500.00**	**500.00**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-विधान सभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।

संख्या:21/2019/64(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बांदा।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,बांदा।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।

http://shasanadesh.up.nic.in